

क्रम  
संख्या

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

3

17/23

अभिलेख उपस्थापित।

सुखदेव महतो, पिता स्व० मुन्शी महतो, ग्राम-खरना, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-विष्णुगढ़, ग्राम-वेडरा, थाना नं०-218, खाता संख्या-221, प्लॉट संख्या-256, रकबा-5.50 डी० भूमि कुंजिया देवी, पति दिनेश्वर महतो, ग्राम-खरना, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छयाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-14/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-1767/रा० दिनांक-18.09.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़ को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़ हजारीबाग के पत्रांक 718 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़ हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 2.69 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकबा 11 डी० है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-139/V पर स्वयं के नाम से जमाबंदी कायम है। वर्ष 2020-21 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् अन्य खाता में अवशेष रकबा 5.50 डी० भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहदी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़ हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
1	2	3
	<p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़ हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सुखदेव महतो, पिता स्व० मुन्शी महतो, ग्राम-खरना, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-विष्णुगढ़, ग्राम-चेडरा, थाना नं०-218, खाता संख्या-221, प्लॉट संख्या-256, स्कवा-5.50 डी० भूमि कुंजिया देवी, पति दिनेश्वर महतो, ग्राम-खरना, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।